

आयालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :- 47/2024

पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक : 15-05-2024

श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

चतुर्भुज पुत्र गोकुल मीना उम्र 62 वर्ष निवासी हलकारा की झौपडी बिछोछ तहसील
बामनवास निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती इन्द्राजात बाबत

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय

दिनांक : 11/8/2024

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 285 रकबा 1.0242 हैक्टेयर, खसरा नं0 286 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 287 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर वाकै ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित व अंकित है। उक्त भूमि आराजी खसरा नं0 285 रकबा 1.0242 हैक्टेयर, खसरा नं0 286 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 287 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर वाकै ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट में प्रार्थी का नाम गलत तरीके से चतुर्भुज की जगह धनजी दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक, राशन कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में चतुर्भुज दर्ज है एवं ग्राम पंचायत सुरतपुरा द्वारा भी दिनांक 13-05-2024 को प्रार्थी का वास्तविक नाम चतुर्भुज पुत्र गोकुल राजस्व रिकार्ड मे अमल करने हेतू अनुशंषा की है। एवं चतुर्भुज व धनजी दोनो नाम का एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया है। ग्राम सुरतपुरा मे धनजी पुत्र गोकुल नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तथा प्रार्थी का आराजी वादग्रस्त में नाम चतुर्भुज की जगह गलती से धनजी दर्ज कर दिया गया प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध दर्ज किये जाने से उक्त भूमि पर मिलने वाले सरकारी लाभो से प्रार्थी को वंचित होना पड़ रहा है। आराजी खसरा नं0 285 रकबा 1.0242 हैक्टेयर, खसरा नं0 286 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 287 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर वाकै ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का दर्ज अशुद्ध नाम धनजी के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र गोकुल का नाम दुरुस्त कर इन्द्राज किया जाना न्यायार्थ व कानूनन जरूरी है। विगत दिनांक 12-05-2024 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार प्रमाण पत्र, सिंचाई प्रमाण पत्र, खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुयी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पास राजस्व रिकार्ड में हुई गलती को दुरुस्त कराने गया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को न्यायालय का आदेश लाने का निर्देश दिया जिससे वाद हैतुक पैदा होकर प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामे में पेश करना लाजिम हुआ। प्रार्थी कानूनन मुश्तहक है कि माननीय न्यायालय से इस आशय की डिक्री इन्द्राज दुरुस्ती प्राप्त करे कि अप्रार्थी आराजी वादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दर्ज अशुद्ध नाम धनजी पुत्र गोकुल के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र गोकुल के नाम से दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट से दुरुस्त इन्द्राज बाबत रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट में विवादित आराजी खसरा नं0 285 रकबा 1.0242 हैक्टेयर, खसरा नं0 286 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 287 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर वाकै ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा वाली मे प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में धनजी दर्ज हो रहा है जबकि अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम चतुर्भुज है जो सही एवं दुरुस्त है, जिससे की प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाकर चतुर्भुज किया जाना उचित है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकार तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नं0 285 रकबा 1.0242 हैक्टेयर, खसरा नं0 286 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं0 287 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर वाकै ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हो रहे गलत अंकन धनजी को दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर चतुर्भुज राजस्व अभिलेख में अंकन करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फौरन शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेंद्र कुमार मीना)
उपजम्ह अधीकारि
लासपोव डिप्टी अधीकारि लालसोट